(18)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03/2009

दायर दिनांक: 02.01.2009

उनवान

(मृतक) – भौमसिंह आ० बापूसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी

1/1 कालूसिंह पिता भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/2 सुगनबाई बेवा भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/3 हेमकुंवर पुत्री भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/4 मानकुंबर पुत्री भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/5 हंसाकुंवर पुत्री भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/6 गोपालकुंवर पुत्री भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/7 रमेशवाई पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/8 भानुसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी तहसील सुनेल

1/9 हेमकुंवर बेवा गोपालसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/10 पुजाबाई पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी तहसील सुनेल

1/11 दीपशिखाकुंवर पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी तह.सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. जुझारसिंह आत्मज रूपसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
2. भगवानसिंह आत्मज रूपसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
3. पेफबाई बेवा रूपसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
4. धापूबाई बेवा गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
5. कल्याणसिंह आ० गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तह.सुनेल
6. तंवरकुंवर पुत्री गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
7. ममताकुंवर पुत्री गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. [illegible] तहसील सुनेल
8. कालूलाल आ० मोतीलाल जाति [illegible] तहसील सुनेल
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसील[illegible]

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(19)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषका–
अभिभाषक वादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन
प्रतिवादीगण – एकतरफा

निर्णय दिनांक : 07.08.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वजीरपुरा तहसील पिड़ावा की जमाबंदी सवंत 2062–2065 अनुसार खाता संख्या 112 पुराना 73 की आराजी खसरा नं. 249 रकबा 12 बिस्वा दर्ज है जिसको बाद में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबंधित किया गया है, नकल जमाबन्दी पेश है। यह कि के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी 1, 2, 3 व 4 लागयत 7 के पिता व पति गोरधनसिंह के नाम दर्ज है, गोरधनसिंह का देहांत हो जाने से प्रतिवादी 4 लगायत 7 उसके वारीसान है। यह कि पूर्व के खातेदार रूपसिंह आ० मोहकमसिंह का देहांत हो जाने से उक्त आराजी उसके वारीसान मोजुदा खाते में दर्ज के नाम दर्ज हुई है। यह कि विवादग्रस्त आराजी के खातेदार रूपसिंह आ० मोहकमसिंह ने उक्त आराजी खाता संख्या 249 रकबा 12 बिस्वा भूमि वादी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 28.04.1988 से विक्रय कर दी तथा कब्जा संभला दिया तब से वादी का उक्त आराजी पर कब्जा बेरोकटोक एलानिया बिना किसी बाधा के पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से लगातार चला आ रहा है। जिस पर वादी काश्त करता है। यह कि उक्त रजिस्ट्री बैचान का इंतकाल संख्या 138 दिनांक 07.06.1989 दर्ज होकर आदेश हो चुके थे परन्तु पटवारी आदेश 29.12.1990 में इंतकाल 138 परत सरकार चार्ज में फटी हुई प्राप्त हुई और रजिस्ट्री पटवारी के पास ही थी, पटवारी का ट्रासफर हो गया [illegible] से उक्त आराजी वादी के नाम खाते दर्ज नहीं हुई वादी [illegible] आ[illegible] का खातेदार टीनेंट घोषित करवाने व खाते [illegible] का अ[illegible] है। यह कि विक्रेता खातेदार रूपसिंह आ० मो[illegible] से रोटेशन में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व 4 लागयत 7 के पति–पिता के नाम दर्ज हो

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गए उक्त नामांतरण से वादी के हक व अधिकारो पर कोई असर नही पड़ता है। यह कि विवादग्रस्त आराजी वादी ने किमतन खरीद की और रजिस्ट्री बयनामा होकर कब्जा प्राप्त कर लिया था वादी का कब्जा विवादग्रस्त आराजी पर पिछले 20 वर्षो से अधिक समय से बिना किसी बाधा के एलानिया चला आ रहा है उक्त आराजी पर बादी का एडवर्स पजेशन खातेदार घोपित होने तथा अपने नाम हो गया है। वादी उक्त आराजी का खातेदार घोषित होने तथा अपने नाम दर्ज करवाने हक है। प्रतिवादीगण 1 लागयत 5 ने जरिये रजिस्ट्री बयनामा दिनांक 05.04.2010 से वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 249 रकबा 12 बिस्वा प्रतिवादी नं. 8 के हक में बिक्री पत्र निस्पादित करवा दिया, उक्त बैचान शून्य व निष्प्रभावी होने योग्य है। उक्त बैचान से उत्पन्न स्तिथि में प्रतिवादीगण दोराने मुकदमा वादग्रस्त आराजी कही रहनबय अंतरण नहीं करे इनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जरी किया जाना आवश्यक है। यह कि दिनांक 15.12.2008 को वादी ने हल्का पटवारी से उक्त आराजी अपने नाम दर्ज करने को कहा तो उन्होंने दावा करने कि सलाह दी प्रतिवादीगण ने भी वादी का नाम दर्ज कराने से मना कर दिया यही बिनाय मुखासमत दावा हाजा है। यह कि प्रतिवादी संख्या 8 राजस्थान सरकार को आवश्यक पक्षकार होने से फार्मल पक्षकार बनाया गया है। यह कि दावा उचित कोर्ट फिस पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि बादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय कि डिक्री फरमावे –

(अ) ग्राम वजीरपुरा तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नं. 249 रकबा 12 बिस्वा का वादी को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे।

(ब) उक्त आराजी से प्रतिवादीगण 1 लागयत 7 का नाम कम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लागयत 7 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे।

(स) अन्य न्योयोचित सहायता वादी के पक्ष में [illegible] मुकदमा दिलाया जावे।

(द) प्रतिवादीगण 1 लागयत 5 ने जरिये रजिस्ट्री बयनामा दिनांक 5.04.2010 से वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 249 रकबा 12 बिस्वा प्रतिवादी नं. 8 के हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मे विक्री पत्र निस्पादित करवा दिया, उक्त बैनामा शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे। उक्त बैनामा से उत्पन्न स्थिति मे प्रतिवादीगण दौराने मुकदमा वादग्रस्त आराजी कही रहनबय अंतरण नही करे इनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यह कि मद नम्बर 1 मे आराजी होना स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। यह कि मद नम्बर 2 सही है। और स्वीकार है। यह कि मद नम्बर 3 सही है। और स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 4 गलत एवंम अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा यह कब्जा बाप दादा के समय से निरन्तर चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 5 जिस प्रकार लिखी गई है गलत है तथा स्वीकार नही है। वादी किसी प्रकार से खातेदार टिनेन्ट होने घोषित होने योग्य नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 6 रूपचन्द का देहान्त होना सही है। शेष तथ्य गलत है तथा अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 7. गलत होने से स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा बा हैसियत खातेदार टिनेन्ट सबके एवं वादी के ज्ञान में चला आ रहा है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 8 गलत है तथा स्वीकार नही है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 9 गलत है तथा स्वीकार नही है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 10 गलत है तथा स्वीकार नही है और दावा मियाद बहार है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 11 मे सहायता जो वादी द्वारा चाही गई है वह गलत है तथा स्वीकार नही है। **विशेष आपत्तियां** – यह कि आराजी खसरा नम्बर 249 रकबा 12 बिस्वा, के खातेदार टिनेन्ट प्रतिवादीगण [illegible] पर प्रतिवादीगण का आने बापदादाओं के समय से ही [illegible] चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर [illegible] किसी बाधा [illegible] प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। यह कि वादी [illegible] प्रतिवादीगण के खाते कब्जेकाश्त कि भुमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वाद वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। यह कि वादी ने दावा मियाद बहार पेश दिया है जो काबिल खारीज है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी दावा मय खर्चा खारीज फरमाया जायें।

3. ततपश्चात प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 08.01.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम वजीरपुरा का खाता सं. 112 जमाबंदी सं. 2062–65 की नकल प्रदर्श 1, नामा.सं. 138 दिनांक 29.12.1990 प्रदर्श 2, रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.04.1988 प्रदर्श 3, रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.04.2010 की छायाप्रति, खाता सं. 15 जमाबंदी सं. 2074–77 प्रदर्श 4, नामा.सं. 529 दिनांक 22.12.2018 प्रदर्श 5 एवं 2009-10 (supp.) RRT 411 एटिया रिद्धा रैडी बनाम बूसी शुभा रैडी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 06.05.2010, उदा बनाम गोवा व अन्य आरआरडी 1992 पेज सं. 651 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में कालूसिंह पि. भौमसिंह, नन्दलाल पि. बालूजी PW 1 To PW 2 के शपथ पत्र/बयान कराये।

5. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम वजीरपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 249 रकबा 0–12 बीघा जमाबंदी सं. 2042–45 के अनुसार रूपसिंह पि. मोखमसिंह के खाते दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार रूपसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.04.1[illegible] का बेचान भौमसिंह पि. बापूसिंह जाति राजपूत नि. सेलखेडी [illegible] किया था जिसका केता वादी भौमसिंह के [illegible] नामा.सं. 13[illegible] किया गया था जिसे भू.अभिलेख निरीक्षक हेमडा द्वा[illegible] को बाद जाच अनुशंषित किया गया था फिर भी नायब तहसीलदार द्वारा जान बूझकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

निर्णित नहीं किया गया। इसी बीच तत्कालीन हल्का पटवारी का स्थानान्तरण हो जाने से नये हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण पंजिका पर दिनांक 24.11.1990 को अंकन किया है कि रजिस्ट्री प्रस्तुत नहीं की गई। खरीददार ने पटवारी के पास होना जाहिर किया है। इन्तकाल प्रस्तुत होने से 18 माह से बाकी चल रहा है जिस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 29.12.1990 को खारीज कर पुनः नामान्तरण खोल कर पेश करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया था। नायब तहसीलदार सुनेल ने अपने आदेश में अंकन किया कि इन्तकल सं. 138 की परत सरकार की प्रति की रिपोर्ट पटवारी कालम सं. 15 व 16 फटा हुआ होने से एवं वर्तमान पटवारी ने फटी कापी अपने पास नहीं होना बताया। अतः इस नामान्तरण को निरस्त किया जाता है। दुबारा इन्तकाल खोल कर पेश किया जावे। रजिस्टर्ड बेचान पत्र के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं करके, केवल तत्कालीन राजस्व कार्मिक/हल्का पटवारी द्वारा परत सरकार को नवीन पटवारी को नहीं सौपने या परत सरकार के फटे होने के आधार पर नामान्तरण को खारीज नहीं किया जा सकता है। राजस्व कार्मिको द्वारा की गई गलती की सजा खातेदार को दिया जाना विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामा सं. 138 की पंजिका के कालम सं. 16 में सबसे अंत में अंकन किया है कि कब्जा खरीदारान का हो चुका है। वादी केता ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से टाईटल एवं कब्जा दोनो प्राप्त करने के बावजूद भी गलत तरीके से इन्तकाल को खारीज कर दिया गया था। तत्कालीन नायब तहसीलदार ने पुनः हल्का पटवारी को नामान्तरण खोल कर पेश करने हेतु लिखा था लेकिन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण खोल कर पेश नहीं किया गया। इसके बाद विकेता खातेदार रूपसिंह पि. मोखमसिंह की [illegible] कार्मिको द्वारा टाईटल व कब्जे की जांच पडताल किये बिना [illegible] 267 प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 4 से 7 के पिता गोरधनसिंह [illegible] पक्ष में दर्ज कर दिया गया। जैसे ही वादीगण को रूपसिंह [illegible] की जानकारी हुई वादीगण द्वारा दिनांक 02.01.2009 को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारों की घोषणा का यह वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया था जिसमें दिनांक 27.01.2009 को प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक हुकुमचन्द कुमावत उपस्थित हुए थे और प्रकरण की पैरवी करते रहे। उक्त दावे की पूर्ण जानकारी होने एवं न्यायालय में पैरवी करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा धोखाधडी पूर्वक दिनांक 05.04.2010 को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया जो धारा 52 ट्रांसफर आफ प्रोपटी एक्ट एवं धारा 8 ट्रांसफर आफ प्रोपटी एक्ट के प्रवधानो के अधीन प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। उक्त बेचान की जानकारी होते ही वादी के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2010 को वादग्रस्त आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.11.2012 से ताफैसला मूल वाद जारी किया गया था। इसके बावजूद भी राजस्व कार्मिको द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की खुली अवहेलना करते हुए और पक्षकार के साथ मिलकर प्रतिवादी सं. 8 के पक्ष में दिनांक 22.12.2018 को नामा.सं. 529 दर्ज किया गया था जो भी प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से खारीज योग्य है। इसके बाद वादग्रस्त आराजी का टाईटल व कब्जा केता वादी भौमसिंह के पक्ष में होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित फायदा उठाते हुए षंडयंत्रपूर्वक तरीके से वादग्रस्त आराजी का बेचान दिनांक 05.04.2010 को पतिवादी सं. 8 कालूलाल के पक्ष में कर दिया गया। अतः बिना टाईटल व कब्जे के किया गया ऐसा पश्चातवर्ती बेचान प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से स्वतः ही खारीज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण को ग्राम वजीरपुरा की वादग्रस्त आराजी पर रजिस्टर्ड टाईटल व कब्जे के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करते हुए सहायक अनुतोष के रूप में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि[illegible] 04.2010 को प्रारम्भ से शून्य व अवैध घोषित कि[illegible] को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

6. अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होने के बावजूद कोई साक्ष्य पेश नही की गई। बाद में न तो प्रतिवादीगण और न ही अभिभाषक प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः साबित है कि प्रतिवादीगण के पास अपने पक्ष में पेश करने के लिए न कोई साक्ष्य है और न ही कोई तथ्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

7. अभिभाषक वादीगण की बहस एकरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1988 प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम वजीरपुरा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 149 रकबा 0–12 बीघा का खातेदार रूपसिंह आत्मज मोखमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी द्वारा बेचान भौमसिंह पि. बापूसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी को कर कब्जा सौप दिया था। वादीगण द्वारा पेश ग्राम वजीरपुरा के नामा.सं. 138 की पंजिका के कालम सं. 14, 15, 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार रूपसिंह आत्मज मोखमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी द्वारा दिनांक 28.04.1988 को बेचान भौमसिंह पि. बापूसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी को कर दिया था। नामान्तरण पंजिका के विशेष विवरण में हल्का पटवारी द्वारा सबसे नीचे अंकन किया कि कब्जा खरीददार का हो चुका है। हल्का पटवारी के उक्त अंकन को भू.अभिलेख निरीक्षक हेमडा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 07.06.1989 में सही माना गया था। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 कालूसिंह, पीडब्ल्यु 2 नंदलाल ने भी अपने सशपथ बयानो में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त क्रय दिनांक 28.04.1988 से [illegible] व उसके बाद उनके वारीसान का कब्जा काश्त चला आ [illegible] साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यु 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि[illegible]28.04.1988 [illegible] गवाह है और स्वीकार किया है कि रजिस्ट्री पर गवा[illegible] है। रूपसिंह ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भी रजिस्ट्री पर मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे। कर्णसिंह ने आराजी का कब्जा संभला दिया था। तब से इस भूमि पर भीमसिंह का कब्जा चला आ रहा है।

8. नामा.सं. 138 की पत्रिका पर नये हल्का पटवारी ने दिनांक 24.11.1990 को अंकन किया है कि रजिस्ट्री प्रस्तुत नहीं की गई है। खरीददार ने पटवारी के पास होना जाहिर किया है। इस कारण तस्दीक होने से 18 माह से बाकी चल रहा है। नामान्तरण को तत्कालीन नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा यह अंकन करते हुए दिनाक 29.12.1990 को खारिज कर पुन: इन्तकाल खोलने के लिए लिखा गया कि *" इन्तकल सं. 138 की परत सरकार की प्रति की रिपोर्ट पटवारी कालम सं. 15 व 16 फटा हुआ होने से एवं वर्तमान पटवारी ने फटी कापी अपने पास नहीं होना बताया। अतः इस नामान्तरण को निरस्त किया जाता है। दुबारा इन्तकाल खोल कर पेश किया जावे"* अतः स्पष्ट है कि नामान्तरण निर्णित करने वाले नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1988 की वैधत एवं कब्जा काश्त के संबंध में कोई टिप्पणी किये बिना हल्का पटवारी की गलती से परत सरकार के फटे होने का हवाला देकर नामान्तरण खारीज कर दिया गया। *अतः स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण को किसी विधि या कानूनी प्रावधानो के अधीन खारीज नहीं किया जाकर राजस्व कार्मिको की लापरवाही से परत सरकार के फटने एवं मूल रजिस्ट्री स्थानान्तरित पटवारी के पास होने के आधार पर खारीज किया गया था जिसके लिए क्रेता खातेदार भीमसिंह को किसी भी स्तर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। राजस्व कार्मिको की गलती की सजा खातेदार को देनां न्यायिक सिद्धान्तो के विरूद्ध है।* नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा नये हल्का पटवारी को पुनः नामान्तरण खोलने के निर्देश [illegible] पटवारी द्वारा नामान्तरण नहीं खोला गया। इसके बाद विक्रे[illegible] रूपसिंह पि. मोखमसिंह फोत हो गये जिससे नाम[illegible] नहीं खोला [illegible] जाहिर होता है। *विक्रेता खातेदार रूपसिंह के फो[illegible] [illegible] नामा.सं. 267 को वारीसान के पक्ष में निर्णित करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा वादग्रस्त*

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आराजी के टाईटल एवं मौके पर कब्जे काश्त की जांच पडताल किये बिना प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तरण निर्णित करना जाहिर होता है जो विधिक प्रावधनो के विरूद्ध है।

9. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि केता वादी द्वारा दिनांक 01.01.2009 को वादग्रस्त आराजी पर टाईटल व कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए विकेता रूपसिंह के वारीसान प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्ध यह वाद सं. 3/2009 पेश किया गया था जिसे दिनांक 02.01.2009 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन तलवी की गई थी। आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.01.2009 को प्रतिवादी सं. 5 की ओर अभिभाषक विनोद जैन द्वारा वकालातनामा पेश किया गया और प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 6 व 7 की ओर उपस्थिति हेतु अण्डर टेकिग दी गई। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 से 7 को वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के इस वाद सं. 3/2009 की पूर्ण जानकारी दिनांक 27.01.2009 को हा चुकी थी लेकिन बावजूद सूचना व ज्ञान के प्रतिवादीगण द्वारा बिना टाईटल व कब्जे के केवल जमाबंदी में नाम दर्ज होने के मात्र पर दिनांक 05.04.2010 को वादग्रस्त आराजी का बेचान कालूलाल पि. मोतीलाल दांगी को कर दिया गया जो कि धारा 8 एवं धारा 52 ट्रांसफर आफ प्रोपटी एक्ट के प्रावधानो के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य (Ab-initio-void) है। एक बार वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार रूपसिंह द्वारा वादी भौमसिंह को बेचान कर कब्जा सौप दिये जाने के बाद विकेता रूपसिंह के वारीसान का वादग्रस्त आराजी में कोई भी कानूनी हक व अधिकार शेष नहीं रहता है। अतः रूपसिंह के वारीसान द्वारा बिना टाईटल व कब्जे के तथा न्यायालय में प्रक[illegible] होते हुए भी प्रतिवादी सं. 8 को बेचान करना विधि [illegible] वादग्रस्त आराजी में वादी के हक व अधिकार [illegible] की पूर्ण जानकारी होने पर भी वादग्रस्त [illegible] करने पर लिस पेडेन्स का सिद्धान्त (**Doctrine of Lis-pendens**) लागू होता है। इस

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(78)

न्यायालय में पेश स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र सं. 14/2010 भीमसिंह बनाम जुझारसिंह गवै. की आदेशिका दिनांक 12.04.2010 के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय द्वारा ग्राम वजीरपुरा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 249 पर आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2012 तक आगे बढाया जाता रहा था। दिनांक 08.11.2012 को न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के उक्त प्रार्थना पत्र को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को इस आशय से पाबंद किया गया कि ग्राम वजीरपुरा की आराजी ख.नं. 249 रकबा 0-12 बीघा भूमि को रहन, बेचान, अंतरण नहीं करे तथा रजिस्ट्री बयनामा दिनांक 05.04.2010 से अप्रार्थी सं. 8 के हक में नामान्तरण दर्ज नहीं करावे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण द्वारा पेश ग्राम वजीरपुरा के नामा.सं. 529 दिनांक 22.12.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय से स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी राजस्व कार्मिको द्वारा गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी सं. 8 के पक्ष में बेचान का नामान्रण दर्ज किया गया जो कि प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध (Ab-initio-void) होने से खारीज योग्य है। सुविधा के लिए धारा 8 एवं धारा 52 ट्रांसफर आफ प्रोपटी एक्ट के प्रावधानो का यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक है –

Sec.8. Operation of transfer.—Unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property, and in the legal incidents thereof. Such incidents include, where the property is land, the easements annexed thereto, the rents and profits thereof accruing after the transfer, and all things attached to the earth; and, where the property is machinery attached to the earth, the moveable parts thereof; and, where the property is a house, the easements annexed

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

thereto, the rent thereof accruing after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows and all other things provided for permanent use therewith; and, where the property is a debt or other actionable claim, the securities therefor (except where they are also for other debts or claims not transferred to the transferee), but not arrears of interest accrued before the transfer; and, where the property is money or other property yielding income, the interest or income thereof accruing after the transfer takes effect.

Sec.52. Transfer of property pending suit relating thereto.— During the pendency in any Court having authority within the limits of India excluding the State of Jammu and Kashmir] or established beyond such limits by the Central Government of any suit or proceeding which is not collusive and] in which any right to immoveable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein, except under the authority of the Court and on such terms as it may impose.

Explanation.—For the purposes of this section, the pendency of a suit or proceeding shall be deemed to commence from the date of the presentation of the plaint or the institution of the proceeding in a Court of competent jurisdiction, and to continue until the suit or proceeding has been disposed of by a final decree or order and complete satisfaction or discharge of such decree or order, has been obtained, or has become unobtainable by reason of the

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

expiration of any period of limitation prescribed for the execution thereof by any law for the time being in force.

10. वादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत 2009-10 (supp.) RRT 411 उनगान एरिया सिद्धा रैड्डी बनाम बूरी शुभा रैड्डी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 06.05.2010 में प्रतिपादित किया है कि – "Specific Relief Act, 1963- Secs. 34 & 38- Two registered sale deed of the property-One sale deed executed on 19.7.1966 & another on 22.5.1968-Held, Registered sale deed executed first will prevail over the subsequent sale deed & petitioner did not acquire any title in the suit property".

11. **2006(1) RRT 434 Magni Ram vs. Smt. Kankubai & Ors.** मामले मे माननीय बोर्ड आफ रेवन्यु अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2005 में प्रतिपादित किया है कि – "Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 135-Mutation-Transfer of land by regd. sale deed-Appeals of petitioner also dismissed-Revision-Firstly land sold by regd. sale deed to petitioner on 18.9.1995 & subsequently on 5.6.2000 sold it to non-petitioner No. 2-Subsequent sale deed is void & first purchaser cannot be deprived from his rights if he has not made attempt to get open the mutation-Attestation of mutation in favour of non-petitioner No. 2 was not justified-Sale deed cannot be ignored executed in favour of peti tioner-Held, Courts below have committed serious illegality in passing impugned judgments".

12. RRD 1992 page no. 651 Uda v. ... मे माननीय बोर्ड आफ रेवन्यु अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 19.08.1992 मे प्रतिपादित किया है कि– "Transfer of Property Act, Section 8- In

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(21)

a case in which a person has legally acquired khatedari rights by virtue of a registered sale deed executed in his favourior to the execution of a subsequent registered sale deed in favour of another person, then despite the fact that entries in the record of rights have been made in favour of the subsequent purchaser the forme purchaser is entitled to the relief of being declared as lawful khatedar of the land- The subsequent purchaser acquires no rights or title in the land-1979 RRD 1".

13. 2018(1) RRT 584 Choutharam vs. Urash Khan. मामले मे माननीय बोर्ड आफ रेवन्यु अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.10.2018 में प्रतिपादित किया है कि – "Rajasthan Tenancy Act, 1955-5ecs. 88 & 188-Suit for decl. & permanent injunction-Sult decreed against the appellant-No right w defendant Maku Khan who sold the land as an Yakub Khan-Yakub died in the childhood- **Revenue Court can declare the sale deed vold & Ineffective-** Concurrent findings-Held, Interference declined".

14. इसी प्रकार 2006(1) RRT 434 Ghisa Ram & Ors. vs. Chunni Lal & Ors. मामले मे माननीय बोर्ड आफ रेवन्यु अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 17.07.2002 में प्रतिपादित किया है कि– "Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 207-Jurisdiction of the Court- issue garding jurisdiction framed on request of defendant- Plaintiff not sought the cancellation of sale deed- **Relief sought to declare the sale deed null & void & the relief can be granted by the revenue Court-** Issue No. 5 rightly decided In lavour of the plaintiff".

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

(32)

15 न्यायिक दृष्टांत भूरीबाई बनाम शंभूलाल आर.आर.टी. 2021(2) पेज नं. 1128 में माननीय राजस्व मण्डल खण्डपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88 व 188 पश्चातवर्ती विक्रय पत्र वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा 26.06.2969 को भूमि क्रय की तथा अपीलांट ने 04.06.1986 को भूमि क्रय की–पश्चातवर्ती विक्रय पत्र अवैध व शून्य है तथा अपीलांट को पश्चातवर्ती विक्रय विलेख के आधार पर सम्पत्ति में अधिकार व स्वत्व नहीं है– निर्णित वादी के पक्ष में वादी सही डिक्री किया। (पैरा 9, 10, 11)

16 **माननीय राजस्व मण्डल ने सम्पतलाल बनाम कलवंतराय 2021 आर.** बी.जे. 760 में अभिनिर्धारित किया है कि "राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956– धारा 135–रुपाराम द्वारा दिनांक 04.02.1992 को रजिस्ट्रर्ड विक्रेय पत्र द्वारा भूमि रेस्पोंडेंट कलवंतराय को विक्रय कर दी थी, लेकिन रेस्पोंडेंट के नाम नामान्तरण नही हुआ। रुपाराम ने जमीन का वापिस अपीलान्ट को बैचान कर दिया। रुपाराम को रेस्पोंडेंट के पक्ष में विक्रय पत्र निश्पादित करने के बाद भूमि को दुबारा बैचने का अधिकार नही था। पश्चात्वर्ती विक्रेय पत्र अवैध व शून्य है। नामान्तरण निरस्त किये गये"।

17. यह सुस्थापित कानूनी सिद्धान्त है कि किसी सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी उसके टाईटल एवं कब्जे के आधार पर निर्धारित होता है, जमाबंदी में नाम दर्ज होने मात्र के आधार पर कोई स्वामी निर्धारित नहीं होता है। यदि किसी आराजी का रजिस्टर्ड बेचानपत्र से टाईटल एवं मौके पर कब्जा किसी क्रेता के पक्ष में साबित है तो जमाबंदी में किसी कारणवश विक्रेता का नाम खातेदार के रूप में दर्ज होने मात्र से उस विक्रेता को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनने विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जमाबंदी केवल Fiscal purpose से तैयार की जाती है इससे आराजी के स्वामित्व का निर्धारण नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलवंतसिंह व अन्य बनाम दौलतसिंह (मृतक) व अन्य (1997) 7 एस.एस.सी. 137 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

"Mutation of a property in the revenue record does not create or extinguish title nor has it any presumptive value on title. It only enables the person in whose favour mutation is ordered to pay the land revenue in question. The learned Additional District Judge was wholly in error in coming to a conclusion that mutation in favour of Inder Kaur conveys title in her favour. This erroneous conclusion has vitiated the entire judgment."

18. इसी प्रकार सूरजभान बनाम वित्तीय कमिश्नर (2007) 6 एस.एस.सी. 186, जितेन्द्रसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2021) एस.एस.सी. आनलाईन एस. सी. 802, सुमन वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004) 12 एस.एस.सी. 58 व औरंगाबाद नगर निगम बनाम महाराष्ट राज्य (2015) 16 एस.एस.सी. 689 आदि मामलो मे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि –

"Mutation entry of a property in the revenue record does not confer any right, title or interest in favour of any person and the objective is only for fiscal purpose."

19. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मूल खातेदार रूपसिंह द्वारा एक बार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.04.1988 से भूमि का बेचान कर कब्जा हस्तानान्तरित किये जाने के बाद उसी आराजी का उसके वारीसान/प्रतिवादीगण द्वारा किया गया बेचान दिनांक 05.04.2010 प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्ध (Ab-initio-void) होने से स्वतः ही खारीज योग्य होते है और इस कारण से शून्य व अवैध बेचान के आधार पर निर्णित किया गया नामा.सं. 529 दिनांक 22.12.2018 भी शून्य व विधि विरूद्ध (Ab-initio-void) होने से स्वतः ही खारीज योग्य होते है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण का मुख्य अनुतोष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा है जबकि पश्चातवर्ती विक्रय पत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

05.04.2010 को प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध (Ab-initio-void) घोषित कराने का सहायक अनुतोष है और ऐसे अनुतोष प्रदान करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है।

20 उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा न्यायिक दृष्टांतो से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर ग्राम वजीरपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 249 रकबा 0–12 बीघा के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–ःःक्रियात्मक आदेशःः–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा न्यायिक दृष्टांतो से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर ग्राम वजीरपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 249 रकबा 0–12 बीघा के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 249 रकबा 0–12 बीघा यानि 0.1518 है. पर प्रतिवादी सं. 8 कालूलाल के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/8/2025

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(95)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 03/2009 दायर दिनांक: 02.01.2009

उनवान

(मृतक) – भौमसिंह आ० बापूसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी

1/1 कालूसिंह पिता भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/2 सुगनबाई बेवा भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/3 हेमकुंवर पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/4 मानकुंबर पुत्री भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/5 हंसाकुंवर पुत्री भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/6 गोपालकुंवर पुत्री भौमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/7 रमेशवाई पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/8 भानुसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी तहसील सुनेल

1/9 हेमकुंवर बेवा गोपालसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल

1/10 पुजाबाई पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी तहसील सुनेल

1/11 दीपशिखाकुंवर पुत्री गोपालसिंह जाति राजपूत नि.सेतखेडी तह.सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. जुझारसिंह आत्मज रूपसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
2. भगवानसिंह आत्मज रूपसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
3. पेफबाई वेवा रूपसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
4. धापूबाई बेवा गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
5. कल्याणसिंह आ० गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तह.सुनेल
6. तंवरकुंवर पुत्री गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
7. ममताकुंवर पुत्री गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. सेतखेडी तहसील सुनेल
8. कालूलाल आ० मोतीलाल जाति [illegible] निवासी वजीरपुरा तहसील सुनेल
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सुनेल

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(96)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाशकगण–
अभिभाशक वादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन
प्रतिवादीगण – एकतरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X........ रूबरू ....X........
मिनजानित मुदई रूबरू ....X........

ग्राम वजीरपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 249 रकबा 0–12 बीघा के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ख. नं. 249 रकबा 0–12 बीघा यानि 0.1518 है. पर प्रतिवादी सं. 8 कालूलाल के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

07/8/25

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

निज ....X........ मुबालिक ....X........ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ....X........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.08.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.10.27 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner